नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2007

सा.का.नि. 228.–केंद्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल, वायु स्कंध में सूबेदार (भंडारी) के योधक पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, वायु स्कंध सूबेदार (भंडारी) भर्ती नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान .**–उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .**–उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता .**–वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.**–इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

स्पष्टीकरण–इन नियमों के प्रयोजन के लिए, ''शेप-1'' से यथा नीचे परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है :-

(i) कोड अक्षर शेप (एस.एच.ए.पी.ई.) जो निम्नलिखित कृत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए घटकों के अधीन अधिकारी की योग्यता निर्धारित करने के पश्चात्, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण :-

एस	–	मनोवैज्ञानिक
एच	–	श्रवण शक्ति
ए	–	उपांग (अपैन्डेजेस)
पी	–	शारीरिक क्षमता
ई	–	दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक घटक के अधीन किसी अधिकारी की कार्यक्षमता प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 तक गिरती कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी और कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके द्वारा जहां कोई अधिकारी सभी घटकों में श्रेणी-1 में है, वहां उसका प्रवर्ग एस, एच, ए, पी, ई, लिखने के बजाए शेप-1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा, इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है :-

(क) कहीं भी सभी कर्त्तव्यों के लिए योग्य ।

(ख) सभी कर्त्तव्यों के लिए योग्य किंतु क्या कर्त्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आंखों की श्रवण शक्ति/दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अंतरग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्त्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं ।

(ग) ''एस'' घटक को छोड़कर नेमी या निष्क्रिय कर्त्तव्यों के लिए योग्य किंतु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडों पर और लंबे कर्त्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं ।

(घ) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्त्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य ।

(ङ) कर्त्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य ।

6. **अधिवर्षिता :** (1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा :

परंतु यह कि वह व्यक्ति, जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा ।

(2) किसी भी व्यक्ति को सत्तावन वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के परे सेवा में विस्तार मंजूर नहीं किया जाएगा ।

7. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सूबेदार (भंडारी)	1*(2007) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय (योधक)	6500-200-10500 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)	(14)
प्रोन्नति : ऐसे उप निरीक्षक (भंडारी),– (क) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) चिकित्सा प्रवर्ग शेप 1 है । प्रतिनियुक्ति : (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी.– (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल –अध्यक्ष 2. उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल –सदस्य (जो महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)	लागू नहीं होता ।

(12)	(13)
(ii) जिन्होंने 5500–175–9000 रुपए के वेतनमान में उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों :– (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य ; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से भंडार प्रबंध या सामग्री प्रबंध में एक वर्षीय प्रमाण पत्र या समतुल्य । टिप्पण 1–पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । टिप्पण 2–प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3–प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	3. मुख्य इंजीनियर, सीमा सुरक्षा बल (वायु स्कंध) –सदस्य

[फाइल सं. 17/61/2006-कार्मिक/सी.सु.बल]

बरुण कुमार साहू, निदेशक (कार्मिक)

New Delhi, the 31st October, 2007

G.S.R. 228.—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the Combatised post of Subedar (Storeman) in the Border Security Force, Air Wing, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Border Security Force, Air Wing Subedar (Storeman) Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit, qualificaitons etc.—The Method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Medical Fitness.—Notwithstanding any thing contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

Explanation.—For the purpose of this rule, "SHAPE-I" means Medical Category defined as under :—

(i) Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following function :—

S – Psychological

H – Hearing

A – Appendages

P – Physical Capacity

E – Eye-Sight

(ii) Functional capacity of an officer under each factor will be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency and the numerals will be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing $S_1H_1A_1P_1E_1$. General evaluation of these numerals is as under :—

(a) Fit for all duties any where.

(b) Fit for all duties but may have limitations as to type of duties and areas of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing/vision of both ears or eyes.

(c) Excepting "S" factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude (above 2,700 meters) extreme cold areas or hilly terrain and for long assignments.

(d) Temporarily unfit for duties on account of hospitalization or sick leave.

(e) Permanently unfit for duties.

6. Superannuation.—(1) A person appointed under the provisions of these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of fifty seven years :

Provided that the person whose date of birth is the first of a month shall retire on the afternoon of the last day of the preceding month of attaining the age of fifty seven years.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the age of retirement of fifty seven years.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders, issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-Selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Subedar (Storeman)	01*(2007) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Rs. 6500-200 10500	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method or recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)	(14)
I. Promotion : Sub-Inspector (Storeman) :— (a) having three years regular service in the grade; and (b) Medical Category SHAPE-I **II. Deputation :** (a) Officers under Central Government or State Government :—	Group-'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of :— (1) Inspector General, Border Security Force —Chairman (2) Deputy Inspector General, Border Security Force (as may be nominated by the —Member	Not applicable

(12)	(13)	(14)
(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) holding posts in the scale of pay of Rs. 5500-175-9000 with three years regular service in the grade; and (b) Possessing the following qualifications :— (i) Degree from a recognised University or equivalent; (ii) One year certificate in Stores Management or Material Management from a recognised Institute or equivalent. **Note I :** The departmental officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note II :** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment, in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note III :** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 52 years as on the closing date of receipt of applications.	Director General) (3) Chief Engineer Border Security Force (Air Wing) —Member	

[F. No. 17/61/2006-Pers/BSF]

BARUN KUMAR SAHU, Director (Personnel)